

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011—श्रावण 7, शक 1933

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

### अन्तिम नियम

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्र. एफ-12-19-2006-दो-पच्चीस (पार्ट नस्ती).—राज्य शासन विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम, 2006 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

## 5. सहायता की सीमा तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी :-

क्र.	उद्देश्य	किसकी अनुशंसा आवश्यक होगी	सहायता की राशि की सीमा	स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अ—छात्रावास/आश्रम में निवासरत रहते हुए मृत्यु होने पर.	अ—सहायक आयुक्त/जिला संयोजक की अनुशंसा.	अ—रुपये 25,000/- तक	अ—विभागाध्यक्ष को पूर्ण अधिकार के स्थान पर कलेक्टर को पूर्ण अधिकार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एल. कुशवाह, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2011

## शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-19-7-2010-बारह-1.—“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 19 अप्रैल सन् 2010 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उस शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिया गया शब्द पढ़ा जाये :-

## सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वह शब्द आया है	शुद्ध शब्द जो कि पढ़ा जाये
(1)	(2)	(3)
	पृष्ठ	पंक्ति
तीन वर्ष	518 (3)	7
		तीसरे वर्ष

अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2011

## शुद्धि-पत्र

क्र.-प्रशासन-स्थापना-ए-2-1352-2011.—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 672-स्थापना-संविदा-विनियम, 2010 दिनांक 27 मई 2011 का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र”, भाग-4(ग) में 10 जून 2011 में पृष्ठ क्रमांक 212-227 पर किया गया है. जिसमें पंक्ति क्रमांक 6 पर अधिसूचना क्रमांक अंकित होना छूट गया है. जिसे संशोधित कर मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना “क्रमांक एफ 50-07-2007-बीस-3, भोपाल दिनांक 17 अगस्त 2010” अंकित कर पढ़ा जावे.

मधु खरे, सचिव.